(1)

विज्ञप्ति / सार्वजनिक नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि राजस्व विभाग, जिला कार्यालय पिथौरागढ़ के निष्प्रयोज्य लघु वाहन UA 05–1035 (जिप्सी) बर्ष 2002 (यथा स्थिति जिस दशा में हैं) की सार्वजनिक नीलामी जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ द्वारा गठित नीलामी समिति के समक्ष दिनाकं 20.10.2020 को जिला कार्यालय पिथौरागढ़ के सभागार में सायं 04.00 से प्रारम्भ की जायेगी, निष्प्रयोज्य नीलामी योग्य वाहन का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन का नम्बर / मेक मॉडल	वाहन का न्यूनतम नीलामी मूल्य	जमानत की धनराशि
1	2	3	4	5
1.	जिप्सी	UA 05–1035 (जिप्सी)वर्ष 2002	₹ 30000.00 + 28 % GST	₹ 4000.00

नीलामी की शर्तें निम्नवत हैः–

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को जमानत के रूप वाहन के न्यूनतम नीलामी मूल्य हेतु निर्धारित जमानत धनराशि नीलामी से पूर्व नकद जमा करनी अनिवार्य होगी।
2. अधिकतम बोलीदाता को नीलामी में बोली गई धनराशि / स्वीकृत धनराशि एकमुस्त नकद अथवा चालान द्वारा तत्काल जमा की जानी अनिवार्य होगी।
3. नीलामी स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का होगा।
4. नीलामी योग्य वाहन तहसील कार्यालय धारचूला परिसर में सुरक्षित है, वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस को किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में अन्य जानकारी जिला कार्यालय के नाजरात कक्ष संख्या– 19 से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

दिनाकं सितम्बर 28 , 2020

ह0 / –
जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या–9443 / चौंतीस–प्र0ना0 / 2001–2002 दिनाकं 28 ,सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त उपजिलाधिकारी / तहसीलदार जनपद पिथौरागढ़।
4. उप– सम्भागीय, परिवहन अधिकारी पिथौरागढ़।
5. समस्त विभागाध्यक्ष जनपद पिथौरागढ़।
6. उपजिलाधिकारी / तहसीलदार धारचूला को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार प्रसार करवाते हुए वाहन कय के इच्छुक व्यक्तियों को वाहन का निरीक्षण करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
7. नोटिस वोर्ड जिला कार्यालय / समस्त तहसील कार्यालय / समस्त नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत जनपद पिथौरागढ़।
8. विज्ञापन व्यवस्थापक– दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण /हिन्दुस्तान, जनपद पिथौरागढ को इस आशय से प्रषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने–अपने दैनिक समाचार पत्र में शासकीय दरों पर प्रकाशित करवाते हुए देयक भुगतान हेतु समाचार पत्र की कटिंग एवं विज्ञप्ति की प्रति के साथ जिला सूचना अधिकारी पिथौरागढ़ से सत्यापन उपरान्त प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सार्वजनिक सूचना विज्ञप्ति को जनपद की वैवसाईट में प्रर्दर्शित करवाने का कष्ट करें।
10. जिला सूचना अधिकारी पिथौरागढ़ को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28/09

अपर जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।